न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 226/2015 निर्णय दिनांक :–10.06.19

उनवानी प्रार्थना पत्र :

मिश्री पुत्री माधो जाति धाकड निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला–टोंक

–प्रार्थीया –

बनाम

1.रूकमा पत्नी रामकरण जाति धाकड निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला–टोंक
2.रतनी पत्नी रामकरण जाति धाकड निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला–टोंक
3.गोपी पुत्र रामनिवास निवासी कारोलाई हाल निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला–टोंक
4.जमना पुत्री माधो जाति धाकड निवासी कनवाडा तहसील दूनी जिला–टोंक
5.राजस्थान सरकार, जरिये जिला कलेक्टर, टोंक
6.तहसीलदार जी दूनी
7.उपपंजीयक दूनी
8.शाखा प्रबंधक, बडोदा राज0 ग्रामीण बैंक शाखा दूनी

–प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीया

श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1ता 3

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। आराजी ख0नं0 325 रकबा 3.33 है0, ख0नं0 549 रकबा 0.36 है0, ख0नं0 1089 रकबा 2.11 है0, ख0नं0 1742 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 1756 रकबा 0.12 है0, ख0नं0 1758 रकबा 0.13 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 6.18 है0 वाके ग्राम कनवाडा तहसील दूनी एवं ख0नं0 684 रकबा 0.33 है0 ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि के साबिक ख0नं0 275, 357, 420, 408, 409, 410 ग्राम कनवाडा थे, उक्त वर्णित भूमि प्रार्थीया के व प्रतिपक्षी नं0 4 के पिता माधो पुत्र धन्ना जाति धाकड निवासी कनवाडा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिसका यह खातेदार एवं काबिज काश्तकार था। यह कि उपरोक्त वर्णित सजरे के मुताबिक माधों के एक पुत्र व दो पुत्रिया हुई है उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है तथा रामकरण पुत्र भी मर चुका है। माधो के मरने के बाद उसकी खातेदारी की सम्पूर्ण भूमि अकेले पुत्र रामकरण ने अपने नाम दर्ज करवाली उक्त विरासत का नामान्तकरण अंकन प्रथम दृष्टया ही गैर कानूनी एवं शून्य है, क्योंकि प्रार्थीया व प्रतिपक्षी नं0 4 माधो को जाईन्दा पुत्रीया/तहत कानून उत्तराधिकारी है जिनका अपने पिता की सम्पत्ति में दो तिहाई यानि 2/3 हिस्सा है। यह कि वादीया प्रार्थीया व प्रतिपक्षी नं0 4 उपरोक्त वर्णित भूमियों में से 2/3 हिस्से की वास्तविक खातेदार एवं काबिज सहकृषक है रामकरण ने प्रार्थीया के अनपढ एवं ग्रामीण महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर अपनी सगी बहिनों को धोखे में रखकर अपने पिता की जमीन अपने नाम

...थी है जो प्रार्थीया के हितों पर निष्प्रभावी है क्योंकि इनको विरासत के नामा0 के समय सुनवाई का अवसर या नोटिस नहीं दिया गया था ओर किसी प्रकार वारिसान की जांच भी नही की गई थी जमाबंदी में रामकरण के नाम खातेदारी दर्ज होने के कारण रामकरण के मरने के बाद उपरोक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी प्रतिपक्षी नं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज कर दी गई है जो भी प्रारम्भतः ही अकृत/शन्यू है। प्रतिपक्षी नं0 1 रामकरण की प्रथम विवाहित एवं वास्तविक पत्नी है हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत एक विवाहित पत्नी के जीवित रहते यदि कोई व्यक्ति अन्य महिला से नाता/विवाह करता है या नाता/पत्नी रखता है तो उसकी श्रेणी पत्नी न होकर रखेल की होती है, प्रतिपक्षी नं0 2 रामकरण की नाता पत्नी है जो केवल मात्र रखेल है, रामकरण के मरने के बाद 1/2 हिस्सा रूकमा के व 1/2 हिस्सा रतनी के नाम दर्ज करके राजस्व कर्मचारियों ने कानूनी भूल की है वेसे भी इन दोनो को सम्पूर्ण भूमियों में 1/2–1/2 हिस्सा किसी प्रकार प्राप्त नही होता है। प्रतिपक्षी नं0 3 का माधो व रामकरण के परिवार से कोई लेना–देना किसी प्रकार का नही है उनका इस परिवार से खून का रिश्ता नही है क्यों कि प्रतिपक्षी नं0 3 रामकरण की औलाद नही है बल्कि वह प्रतिपक्षी नं0 2 रतनी जो रामकरण की नाता पत्नी है तथा रखेल है उसके साथ गेलड के रूप में साथ आया था, प्रतिपक्ष नं0 3 रतनी का पुत्र अवश्य है परन्तु वह उसके पूर्व पति की संतान है इस कारण कानून गेलड को कोई अधिकार उत्पन्न नही होते है। रामकरण के मरने के बाद 1/2 हिस्सा प्रतिपक्षी नं0 1 के नाम व 1/2 हिस्सा प्रतिपक्षी नं0 2 के नाम दर्ज कर दिया जो यदपित प्रथम दृष्टिया ही गैर कानूनी है परन्तु इस अंकन का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिपक्षी नं0 3 ने अपने आपको रामकरण का पुत्र बताकर सक्षम न्यायालय ने 1/3 हिस्से का खातेदारी घोषणा का दावा प्रस्तुत कर मिली भगत से डिक्री करवा लिया जिसमें भी प्रार्थीया व प्रतिपक्षी नं0 4 को पक्कार नही बनाया ओर किसी प्रकार सुनवाई का अवसर नही दिया गया प्रतिपक्षी नं0 3 के नाम जारी किया गया निर्णय व डिक्री तथा उसके आधार पर जमाबंदी में किया गया खातेदारी का अंकन भी प्रार्थीया के हितो के विपरित है एवं कानून के विपरित होने से शून्य है उस निर्णय व डिक्री से प्रार्थीया पाबंद नहीं रहे है।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण से जवाब तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को अस्वीकार करते हुए विशेष आपतियो में बताया कि प्रार्थीया, प्रतिपक्षी संख्या 4 तथा मृतक राकरण के पिता माधो पुत्र धन्ना जाति धाकड़ की मृत्यु सन् 1950 से पूर्व हो चुकी थी उस समय पिता की सम्पति में पुत्रियो का अधिकार निहित नही था इस कारण उनकी सम्पति का नामांतकरण प्रार्थीयाा एव प्रतिपक्षी संख्या 4 के नाम नही खोला गया था। नामांतकरण बिल्कुल नियमानुसयार खोला गया है जिसे खारिज किया गया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीया एवं प्रतिपक्षी संख्या 4 उक्त वर्णित आराजी भूमि पर कभी भी काबिज काश्त नही री तथा हमेशा से इस भूमि पर प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 का कब्जा रहा है। मृतक रामकरण द्वारा अपने जीवनकाल में ही इस भूमि में से कुछ भूमि को जरिये रजि0 विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया था तथा कुछ भूमि की वसीयत कर दी गई थी जिनका राजस्व रिकॉर्ड में अमल हो चुका है इस प्रकार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम कनवाड़ा सम्वत 2071–74, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2045–69, जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम कनवाड़ा सम्वत 2015–18, खसरा गिरदावरी मौजा कनवाड़ा ठिकाना उनियारा सम्वत 2011, जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम कनवाड़ा सम्वत 2051–54, पेश किये है। अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 7.6.12 पेश किये है।

अधिवक्ता उभयपक्ष से बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में जवाब के तथ्यो को बताते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी तथा पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2015–18 वाके ग्राम कनवाड़ा के अवलोकन से स्पष्ट है कि साबिका ख. नं. माधो पुत्र धन्ना के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसके हाल ख. नं. नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2045–69 से प्रमाणित है और माधो के बाद उक्त जमीन रामकरण के नाम विरासत से आयी है जबकि माधो के वारिसान में रामकरण पुत्र मिश्री व जमना पुत्रीयां व पत्नी जो कि फोत हो चुकी है, थी। अतः माधो की उक्त आराजी भूमि में रामकरण, मिश्री, व जमना का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा होना चाहिए था परन्तु उक्त सम्पूर्ण आराजी रामकरण के नाम दर्ज हो गई जिसमें से 1.33 है0 व 0.33 है0 भूमि गोपी की पत्नी मनभर के हक में दान कर दी। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त भूमि के किसी भी भू–भाग को रहन, दान, बेचान नहीं करे व प्रार्थीया के 1/3 हिस्से में कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में मजामहत नही करे। राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.06.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली